कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

भारत 2023 INDIA

निकट विकास भवन रूद्रपुर, कोषागार, रूद्रपुर,, उत्तराखण्ड। फोन व फैक्स–05944 250060, Email-dfotaraicentral@rediffmail.com

पत्रांक 153 / 12–1 रूद्रपुर, दिनांक 13/07/.2023

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग,
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई–रूद्रपुर,
3 फ्लोर, श्री गुरू अंगद देव जी कॉम्पलैक्स, रूद्रपुर – 263153।

विषयः– **जनपद–ऊधमसिंह नगर में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर के अन्तर्गत रूद्रपुर शहरी क्षेत्र बाईपास (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 21 + 476 तक) के निर्माण/सुधार हेतु 2.183 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/Road/150430/2021)**

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/56/2022/एफ.सी./1276 दिनांक 26.12.2022, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1597/FP/UK/ROAD/150430/2021 दिनांक 02.01.2023 एवं आपका पत्रांक NHAI/ PIU-RUPC/ RudrapurBypass /Forest/2023/1032 दिनांक 02.05.2023।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र में जनपद–ऊधमसिंह नगर में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर के अन्तर्गत रूद्रपुर शहरी क्षेत्र बाईपास (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 21 + 476 तक) के निर्माण/सुधार हेतु 2.183 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/56/2022/एफ.सी./1276 दिनांक 26.12.2022 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1597/FP/UK/ROAD/150430/2021 दिनांक 02.01.2023 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में आपके द्वारा कार्य अपने संदर्भित पत्र द्वारा आरम्भ करने की अनुमति हेतु आवदेन किया गया है। उक्त में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक NHAI/ PIU-RUPC/RudrapurBypass/Forest/2023/1032 दिनांक 02.05.2023 से समस्त दय जमा करते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित किये गये, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0 2425/12–1 दिनांक 16.03.2023 से सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उच्च स्तर को पूर्व में प्रेषित की गयी।

उक्त में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 285/X-4-14-18/1-05(04)/2014 दिनांक सितम्बर 2018, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्रांक 11-306/2014-FC दिनांक 07.05.2015 एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 07 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्माण कार्य आरम्भ करने की अनुमति **एक वर्ष** के लिये दी जाती है। प्रयोक्ता अभिकरण को निर्माण के दौरान सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित अधिरोपित शर्तो तथा इस सम्बन्ध में अन्य नियमों/विनियमों/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के साथ–साथ निम्न शर्तों का भी अनुपालन करना होगा:–

1. निर्माण कार्य करने की अवधि मात्र एक वर्ष की होगी, जो इस पत्र की दिनांक से आरम्भ होगी, साथ ही एक वर्ष के उपरान्त स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण को एक वर्ष के भीतर भारत सरकार से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यदि प्रयोक्ता अभिकरण एक वर्ष के पश्चात् भी बिना विधिवत् स्वीकृति प्राप्त किये कार्य करता

है, तो यह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा साथ ही सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

3. निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण को सैद्धान्तिक स्वीकृति की **शर्त सं0 17** का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
4. प्रत्यावर्तन वन भूमि में विद्यामन वृक्षों के पातन की अनुमति प्रयोक्ता अभिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की **शर्त सं0 17** के पूर्णतः अनुपालन करने के उपरान्त ही निर्गत की जायेगी।
5. कार्य की अवधि के दौरान यदि श्रमिकों, कार्यदायी संस्था एवं प्रयोक्ता अभिकरण के कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधियाँ यथा अवैध पातन, अवैध शिकार होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।
6. कार्य की अवधि के दौरान वन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों को बैरियर पर संधारित पंजिका में प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य होगा।
7. श्रमिकों, कार्यदायी संस्था एवं प्रयोक्ता अभिकरण के कर्मचारियों को सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद आरक्षित वन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
8. उक्त शर्तो के उल्लंघन की दशा में भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही होने पर प्रयोक्ता अभिकरण एवं कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

पंजीकृत

सं0 153 / 121 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून–248001। Email ID: moef.ddn@gov.in. को सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 07 में दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
5. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
6. उप वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि कार्य आरम्भ करने का आदेश को विभागीय website पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. उप प्रभागीय वनाधिकारी, किच्छा, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।
8. वन क्षेत्राधिकारी रूद्रपुर, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण/कार्यदायी संस्था से उपरोक्त शर्तों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
9. उप प्रबन्धक, (तकनीकी), परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रूद्रपुर – 263153।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

उत्तराखण्ड वन विभाग